ए0बी0पी0–1258 / 2026
ब्रहमपुरा थाना कांड संख्या–69 / 2026

दिनांक–01.04.2026

न्यायालयः अपर सत्र न्यायाधीश, सत्रहवी, मुजफ्फरपुर
ए0बी0पी0–1258 / 2026
ब्रहमपुरा थाना कांड संख्या–69 / 2026
अंतर्गत धाराः– 115(2), 118,126, 351(2), 352, 109 एवं धारा–3(5) बी0एन0एस0

1. स्नेहा कुमारी,
2. रिंकी कुमारी,
3. ममता कुमारी– तीनों पिता विजय प्रसाद
4. शिवम् कुमार पिता राजू कुमार
5. विजय कुमार पिता स्व0 जियालाल साह
6. सूरज कुमार पिता स्व0 राधेश्याम साह.....आवेदकगण

बनाम्

स्टेट ऑफ बिहार .....विपक्षी

01.04.2026 आवेदक अभियुक्त स्नेह कुमारी, रिंकी कुमारी, ममता कुमारी, शिवम् कुमार, विजय कुमार एवं सूरज कुमार की ओर से अग्रिम जमानत आवेदन दाखिल किया गया है, जिसकी प्रति विद्वान लोक अभियोजक मुजफ्फरपुर को दी गई है।

सूचक आकाश कुमार का संक्षेप में कथन है कि दिनांक 03.03.26 को समय 4 बजे मेरी मॉ बाहर से आकर जब घर में जाने लगी तो विजय प्रसाद, राजू प्रसाद, सूरज कुमार, मनीष कुमार, ममता कुमारी, रिंकी कुमारी, स्नेहा कुमारी सभी अपने–अपने हाथ में लोहा का रड, हथौड़ी, तथा डंडा लेकर मेरे घर आकर मेरी मॉ को बूरी तरह से सभी मिलकर मारने लगी। मैं, मेरा भाई विकास कुमार, बहन अल्का कुमारी मॉ को बचाने गए तो विजय प्रसाद मुझे पटक कर हाथ पर हथौड़ी से मार कर हाथ तोड़ दिया तथा राजू कुमार डंडा से मेरे सर पर कई बार आक्रमण किया जिससे मेरा सर फट गया मैं रोड पर गिर गया। राजू कुमार मेरे गला पर पैर रख कर हत्या करने का प्रयास कर रहा था। बाकी सभी लोग भी हमारे पूरे परिवार को एकमत होकर मार रहे थे। आस–पास के लोगों के द्वारा हमलोगों को बचाया गया। शिवम् एक कुख्यात अपराधी है, अपने कई अपराधी मित्रों को बुलाकर लाया था नाम नहीं जानता हूँ चेहरा से पहचान लेगे। इलाज कराने के के कारण विलम्ब से प्राथमिकी दर्ज कराने हेतु आवेदन दे रहा हूँ। घटना सी0सी0टी0भी0 में कैद है।

अग्रिम जमानत के बिन्दु पर प्रार्थी अभियुक्तगण के विद्वान अधिवक्ता एवं विद्वान अपर लोक अभियोजक, मुजफ्फरपुर को सुना।

आवेदकगण के विद्वान अधिवक्ता का कथन है कि प्रार्थी अभियुक्तगण अपनी गिरफ्तारी की आशंका से यह अग्रिम जमानत आवेदन दाखिल किये हैं। प्रार्थी अभियुक्तगण की ओर से पूर्व में माननीय प्रधान जिला न्यायाधीश, मुजफ्फरपुर या माननीय

उच्च न्यायालय, पटना में अग्रिम या नियमित जमानत आवेदन दाखिल नहीं किये हैं। प्रार्थी अभियुक्तगण का कोई आपराधिक इतिहास नहीं था, परन्तु वर्तमान में सूचक तथा उनके परिवार के सदस्य ने प्रार्थी अभियुक्त सं0–1 से 4 के विरूद्ध एक झूठा केस ब्रहमपुरा थाना कांड सं0–60 / 2026 दर्ज कराया है जिसमें प्रार्थी अभियुक्तगण जमानत पर है। इसके अतिरिक्त प्रार्थी अभियुक्त सं0–5 और 6 अहियापुर थाना कांड सं0–1354 / 2023 एवं ब्रहमपुरा थाना कांड सं0–237 / 25 सूचक द्वारा दर्ज कराया गया है जिसमें प्रार्थी अभियुक्त सं0–5 एवं 6 जमानत पर हैं। सूचक तथा प्रार्थी अभियुक्तगण एक ही परिवार के सदस्य हैं और उनके बीच जमीन को लेकर पारिवारिक विवाद चल रहा है। इसी विवाद को लेकर दोनों के बीच दीवानी और फौजदारी मुकदमें चल रहे हैं। सूचक द्वारा दबाव बनाने एवं अवैध लाभ के लिए यह मुकदमा दर्ज किया है और साजिश के तहत विलम्ब से यह मुकदमा दर्ज किया है। लगाये गये आरोप सामान्य है। केवल सह–अभियुक्त विजय कुमार के विरूद्ध विशिष्ट आरोप है कि उसने सूचक को गिराया और हथौड़ी से उस पर हमला किया जबकि प्रार्थी अभियुक्तगण में से किसी के विरूद्ध ऐसा कोई आरोप नहीं है। इसके अतिरिक्त राजू कुमार के विरूद्ध सिर पर डंडा से हमला करने का आरोप है लेकिन जख्म प्रतिवेदन को देखने से आरोप का पुष्टि नहीं होती है। सी0सी0टी0भी0 कैमरा के अवलोकन से पाया गया है कि दोनों पक्ष एक–दूसरे से मारपीट व गाली गलौज कर रहे हैं परन्तु घ ाटना में कही भी किसी के हाथों में डंडा या हथौड़ी नहीं दिख रहा है। प्रार्थी अभियुक्तगण पर बी0एन0एस0 की धारा–109 का मामला नहीं बनता है। प्रार्थी अभियुक्त सं0–1 से 3 महिलाएं हैं और प्रार्थी अभियुक्त सं0–4 विजय प्रसाद लगभग 70 वर्ष के एक वरिष्ठ नागरिक हैं। प्रार्थी अभियुक्तगण न्यायालय के सभी शर्तों को पूरा करने को तैयार है, भागने या साक्ष्य में छेड़छाड़ करने की कोई संभावना नहीं है। अतः प्रार्थी अभियुक्तगण को अग्रिम जमानत पर मुक्त करने की कृपा की जाये।

विद्वान अपर लोक अभियोजक इस अग्रिम जमानत का विरोध करते है।

उभय पक्षों को सुना एवं अभिलेख का अवलोकन किया। अभिलेख के अवलोकन से स्पष्ट होता है कि कथित मामला घटना के तीन दिन विलम्ब से दर्ज की गयी, इस विलम्ब के लिए दिया गया स्पष्टिकरण विश्वसनीय नहीं है। केस डायरी के पैरा–15 के अवलोकन से पता चलता है कि घटना में किसी तरह की हथियार का प्रयोग नहीं किया गया है। इससे केवल पता चलता है कि दोनों पक्षों में मारपीट हुई थी। केस डायरी के पैरा 32 के अवलोकन से ज्ञात होता है कि इस घटना में घायल आकाश के सिर पर केवल एक चोट थी, जिसके बारे में कहा गया था कि इसे भारी भोथरे हथियार या धारदार हथियार से प्रहार किया गया था। धारदार हथियार के प्रयोग का कोई भी आरोप नहीं है। केस डायरी के पैरा 32 से यह भी स्पष्ट होता है कि अन्य घायल दिखाए गए

दिनांक–01.04.2026

व्यक्तियों के शरीर पर बाहर से दिखने वाली कोई चोट नहीं थी। इस वाद में नहीं किसी हथियार का प्रयोग किया गया है और नहीं बार–बार किसी महत्वपूर्ण अंग पर प्रहार करने की पुष्टि जख्म पत्रों से हो रही है। प्राथमिकी में लगाये गये आरोप वाद दैनिकी के कंडिका 15 एवं 32 से झुठलाये जा रहे हैं। इसलिए धारा 109 बी0एन0एस0 के तहत दंडनीय अपराध नहीं बनता है। इसके अलावे लगाये गये आरोप की अन्य धाराएं जमानतीय है या उनमें 7 साल से कम अवधि के कारावास की सजा का प्रावधान है।

अतः मामले के तथ्य एवं परिस्थितियों के दृष्टिगत रखते हुए एवं उपरोक्त वर्णित तथ्यों पर विचार करने के उपरांत तथा आवेदकगण को अग्रिम जमानत पर मुक्त करना न्यायोचित प्रतीत होता है। अतः उपरोक्त अग्रिम जमानत आवेदन स्वीकृत करते हुए मो0 5,000 / –रूपया के एक प्रतिभू सहित बन्ध–पत्र आदेश प्राप्ती के 30 दिनों के अंदर निष्पादित करने पर अग्रिम जमानत पर मुक्त करने का आदेश दिया जाता है।

लेखापित

Sd/-

सत्रहवी अपर सत्र न्यायाधीश
मुजफ्फरपुर